**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 96**

**सोमवार, 24 नवम्‍बर, 2014, 3 अग्रहायण 1936 (शक)**

**पथकर की वसूली हेतु नई कंपनी**

96. **श्रीमती जया बच्चन**:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकरों की वसूली हेतु किसी नई कंपनी का प्रवर्तन किया है;

(ख) इस नए उद्यम के अधिदेश तथा उद्देश्य क्या-क्या हैं; और

(ग) क्या यह नई कंपनी स्वतंत्र रूप से अथवा निजी कंपनियों के साथ साझेदारी करके कार्य करेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)**

(क) जी, नहीं । तथापि भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इलैक्‍ट्रोनिक पथकर संग्रहण पद्धति के कार्यान्‍वयन के लिए भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (25%), रियायतग्राही (50%) और वित्‍तीय संस्‍थानों (25%) की इक्‍विटी भागीदारी के साथ कम्‍पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कम्‍पनी लि. नामक एक कम्‍पनी संवर्धित की है ।

(ख) प्रस्‍तावित नई कम्‍पनी के उद्देश्‍यों में से एक उद्देश्‍य इलैक्‍ट्रोनिक पथकर संग्रहण पद्धति कार्यान्‍वित करना और पथकर लेन-देन समाशोधन ग्रह प्रचालन, हेल्‍पडेस्‍क सपोर्ट और अन्‍य सहायक कार्य-कलापों सहित सेवाएं प्रदान करना है ।

(ग) नई कम्‍पनी स्‍वतंत्र रूप से कार्य करेगी ।

\*\*\*\*\*